न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 77/**2021**
GCMS No-2021/225

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थी :–**
आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली		विक्रम तलवार पुत्र श्री दर्शन तलवार मैसर्स पगड़ी प्लाजा मैन जोधपुर रोड़ पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह राठौड़ उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23-06-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 4.1.2021 को प्रार्थी दौराने गश्त मैसर्स पगड़ी प्लाजा मैन जोधपुर रोड़ पाली पर पहुंचा तथा अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। दुकान पर मालिक व विक्रेता की हैसियत से अप्रार्थी श्री विक्रम तलवार पुत्र श्री दर्शन तलवार उपस्थित मिला जो आमजन को उपयोग हेतु पनीर बेच रहा था। पगड़ी प्लाजा का निरीक्षण करने पर वहां रखे फ्रिज मे 5 किलोग्राम पनीर रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5ए पर मेरे विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 250/– नकद देकर 800 ग्राम पनीर जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की। रसीद पर प्रार्थी, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने उक्त खरीदशुदा 800 ग्राम पनीर को नियमानुसार चार भागों में बांटकर उन पर डी ओ कोड व सीरियल नम्बर नाम पता वस्तु का नाम नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अकिंत किये, चारों नमुना के चार लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर **आर–1202** अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, प्रत्येक लेबल पर अप्रार्थी व गवाहन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त नमुना पैकेट को अगले कार्यदिवस पर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर में वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म पगड़ी प्लाजा से लिये गये पनीर के नमूने को अवमानक (Sub-Standard) होना बताया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा (Sub-Standard) पनीर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मिथ्या एवं निराधार मानते हुए कथन किया अप्रार्थी की फर्म एक प्रतिष्ठित फर्म है जो सब स्टेण्र्डड खाद्य पदार्थो का विक्रय नही करती है एवं खाद्य सुरक्षा मानको के आधार पर अपनी फर्म का संचालन करते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिये गये पनीर का नमुना लेते समय नियमों की पालना नही की गई है एव ना ही किसी को स्वतंत्र गवाह बनाया है जो यह सिद्ध करता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं निराधार है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 4.1.2021 को अप्रार्थी की फर्म पगड़ी प्लाजा जोधपुर रोड़ पाली से जांच हेतु पनीर क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या **आर–1202** अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जाचं हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./09/एक्ट/2020/107 दिनांक 12.1.2021 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या **आर–1202** को (Sub-Standard) अमानक स्तर का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजो से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की फर्म पगड़ी प्लाजा से पनीर का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में विहित प्रक्रिया व नियमों का पालन किया है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा (Sub-Standard) अवमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 23-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)